फाइल नं0-71-3099/99/2020-03

76/2023/1/324092/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
सिद्धार्थनगर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 30 मई, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्ट्रैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-2) के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश की धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0सि0/निर्माण कार्य/2022-23/1678-81, दिनांक 28.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 226.0442 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त विद्युत संयोजन हेतु रू0 12404697.00 को सम्मिलित करते हुए मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर की वर्तमान लागत 227.2846 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 215.9203 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	संख्या-41/2018/904/71-3-2018-एन0एम0-03/2018, दिनॉक 14-11-2018	50.00 (केन्द्रांश)
2	संख्या-81/2019/1096/71-3-2019-एन0एम0-03/2018, दिनॉक 14-11-2019	14.14 (केन्द्रांश)
3	संख्या-14/2020/71/71-3-2020-एन0एम0-03/2018, दिनॉक 04-03-2020	15.00 (राज्यांश)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4	संख्या-50/2020/377/71-3-2020-एन0एम0-03/2018, दिनॉक 15-09-2020	20.00 (राज्यांश)
5	संख्या-88/2020/1438/71-3-2020-एन0एम0-03/2018, दिनॉक 30.12.2020	20.00 (केन्द्रांश)
6	संख्या-26/2021/324/71-3-2021-एन0एम0-03/2018, दिनॉक 23.02.2021	50.00 (केन्द्रांश)
7	संख्या-97/2021/ई-1755091/71-3-2021-एन0एम0-03/2018, दिनांक 12.08.2021	06.85 (केन्द्रांश)
8	संख्या-140/2021/ई-1833745/71-3-2021-, दिनांक 24.11.2021	1,24,04,697.00 (विद्युत संयोजन)
9	संख्या-145/2021/ई-1927290/71-3099/99/2020-03, दिनांक 20.12.2021	20.00 (राज्यांश)
10	संख्या-101/2022/ई-190498/2022-71-3099/99/2020-03, दिनांक 15.07.2022	18.6899 (राज्यांश)
	योग	215.9203697

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान लागत रू0 227.2846 करोड़+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) के सापेक्ष 5 प्रतिशत के रूप में अवशेष धनराशि **रू0 11.3643 करोड़ (रू0 ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख तिरालीस हजार मात्र) की धनराशि** राज्यांश के रूप में निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्तक धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तयर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त् नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. शासनादेश संख्या-41/2018/904/71-3-2018-एन0एम0-03/2018, दिनांक 14-11-2018 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 11,36,43,000 (रुपये ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख तिरालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031058905 मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-28/दस-2023-24, दिनांक 22 मई, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7. वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।